न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – पीयुष समारिया (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
011/2021 (रे.वि.) (GCMS 2021/12)	01.01.2021	29.08.2023

अनवान

जे.के. सीमेन्ट वर्क्स निम्बाहेडा, तहसील निम्बाहेडा जिला चितौडगढ़ (राज.) जरिये पावर ऑफ एटोर्नी होल्डर एस.के. राठौड, यूनिट हेड, जे.के. सीमेन्ट वर्क्स निम्बाहेडा।

प्रार्थी

बनाम

1. अनु पुत्री रामलाल अहीर 1/45 निवासी मालियाखेडी तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
2. उंकारलाल पुत्र श्रीलाल अहीर 1/12 निवासी मालियाखेडी तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
3. गट्टुबाइ पत्नी चेनराम अहीर 1/21 निवासी मालियाखेडी तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
4. दाखीबाई पत्नी रतनलाल अहीर 1/21 निवासी मालियाखेडी तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
5. प्रभुलाल पुत्र श्रीलाल अहीर 1/12 निवासी मालियाखेडी तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
6. भगवतीराम पुत्र रतनलाल अहीर 5/42 निवासी मालियाखेडी तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
7. भागीरथ पुत्र शंकरलाल अहीर 4/45 निवासी मालियाखेडी तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
8. मु0 पुष्पा पत्नी रामलाल अहीर 1/45 निवासी मालियाखेडी तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
9. राधेश्याम उर्फ लालु पुत्र श्रीलाल अहीर 1/12 निवासी मालियाखेडी तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
10. वरदीचन्द पुत्र शंकरलाल अहीर 4/45 निवासी मालियाखेडी तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
11. शम्भुलाल पुत्र रतनलाल अहीर 5/42 निवासी मालियाखेडी तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
12. सुशीला पुत्री रामलाल अहीर 1/45 निवासी मालियाखेडी तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
13. हंगारीबाई पत्नी शंकरलाल अहीर 1/15 निवासी मालियाखेडी तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
14. हरिकिशन पुत्री रामलाल अहीर 1/45 निवासी मालियाखेडी तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
15. मैनेजर, आई.डी.बी.आई. बैंक लिमिटेड शाखा रसुलपुरा।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

16. मैनेजर सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा निम्बाहेडा।

अप्रार्थीगण

उपस्थिति :– मनोहर लाल दक — प्रार्थी
जसवंत सिंह (अनुपस्थित वक्त बहस) — अप्रार्थीगण 1 से 14 तक
एक तरफा — अप्रार्थी संख्या 15,16

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 89 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 के अन्तर्गत चूना–पत्थर खदान मालियाखेडी तहसील निम्बाहेडा स्थित प्रार्थी जे.के. सीमेन्ट वर्क्स निम्बाहेडा की स्वीकृत माइनिंग लीज के अन्दर प्रभावित होने वाले अप्रार्थीगणों की भूमि पर खनन करने की अनुमति व सरफेसरेन्ट पर करने बाबत्

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी कम्पनी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 89 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 के तहत इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी कंपनी को सीमेंट उत्पादन करने हेतु राजस्थान सरकार के खान विभाग के आदेश क्रमांक/प–14(21)खान/ग्रुप–2/205 दिनांक 16.11.2010 से 20 वर्ष के लिए प्रथम नवीनीकरण चूना–पत्थर खदान मालियाखेडी के नाम से 315.4090 हैक्टेयर भू–क्षेत्र का खनन पट्टा स्वीकृत शुदा है। एम.एम.डी.आर. (संशोधन) अध्यादेश 2015 की धारा 8ए(5)/8ए(6)(जो लागू हो) के अनुसार उक्त खनन पट्टे की अवधि दिनांक 12.12.2034 तक स्वतः बढ गई है। खनन पट्टा क्षेत्र पांच ग्रामों की सीमाओं में मालियाखेडी–पिपलियागादिया–बांसा–भट्टकोटडी व फलवा में होकर संलग्न खसरा मानचित्र में **A, P, A', B', C', D', Q, D, R, S, E', F', S', H** बिन्दुओं के मध्य स्थित है। माईन्स की सीमा रेखा लाल रंग से दर्शायी गई है। खनन क्षेत्र की सीमा में स्थित ग्राम मालियाखेडी की आराजी संख्या 354 रकबा 0.76 हैक्टेयर किस्म बारानी 4 लगान 3.80 रूपये में से अप्रार्थीगण व प्रार्थी कम्पनी की संयुक्त खातेदारी में वर्तमान जमाबंदी के खाता संख्या 61 में अंकित है। वांछित भूमि खनन पट्टे की लीज सीमा के अन्दर होकर चालु खनन पीट के नजदीक होकर डेन्जर जोन में है, खनन कार्य हेतु उक्त भूमि में से अप्रार्थीगण संख्या 1 से 14 के हिस्से की 0.6967 हैक्टेयर भूमि ही ली जाना आवश्यक है। खसरा मानचित्र के अनुसार उक्त भूमि अप्रार्थीगणों के खाते एवं कब्जे काश्त में रहने पर प्रार्थी द्वारा खनन कार्य करना असम्भव है। भूमि प्रार्थी कम्पनी के स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र में होने से प्रार्थी कम्पनी को उक्त भूमि नियमानुसार खनन कार्य के लिए आवश्यकता है। जिसे धारा 89 में ली जाने वाली भूमि को खसरा मानचित्र में लाल रंग से दर्शायी गई है। प्रार्थी कम्पनी नियमानुसार मुआवजा राशि व सोलिशियन राशि का भुगतान करने को तैयार है। आवेदित भूमि में से अन्य सह खातेदारों ने अपने–अपने हिस्से की भूमि पर बैंक लोन लिये जाने से विपक्षी संख्या 15 व 16 को भी पक्षकार बनाया गया है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अन्त में प्रार्थना की गई कि प्रार्थी कम्पनी की और से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है जिसे स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी की उक्त वर्णित भूमि कुल किता 1 कुल क्षेत्रफल 0.7600 हैक्टेयर भूमि में से प्रार्थी कम्पनी के 1/12 हिस्से को छोडते हुए 0.6967 हैक्टेयर भूमि का नियमानुसार मुआवजा प्रदान कराते हुए बिलानाम सरफेसरेन्ट पर खनन प्रयोजनार्थ कम्पनी (जे.के. सीमेन्ट वर्क्स निम्बाहेडा) को दिलाई जाने का आदेश प्रदान करावें।

इस पर प्रार्थी कम्पनी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किया गया। उप–पंजीयक निम्बाहेडा को उक्त ग्राम की सिंचित/असिंचित कृषि भूमि की सडक के पास अथवा दूर आबादी से पास एवं दूर की प्रचलित बाजार दरे प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये एवं तहसीलदार निम्बाहेडा को आराजीयात जैरबहस के संबंध में आबादी से दूरी की स्थिति, भूमि में स्थित संरचना, निर्माण, वृक्ष, पत्थर कोट आदि की मौका रिपोर्ट उभयपक्षकारान की उपस्थिति में तैयार किये जाने के निर्देश दिये गये।

दिनांक 16.02.2021 को अप्रार्थी संख्या 1, 2, 4 से लगायत 8 तक व अप्रार्थी संख्या 12 से लगायत 16 तक के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई गई। दिनांक 30.03.2021 को अप्रार्थी संख्या 1 से लगायत 14 तक की और से उनके अधिवक्ता हाजिर आये एवं अधिकार पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली है। दिनांक 15.09.2021 को प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 12 व 13 के विरूद्ध अमल में लाई गई कार्यवाही एक तरफा को दौतरफा किये जाने के आदेश दिये गये। दिनांक 15.09.2021 को अप्रार्थी संख्या 1 से लगयात 8 एवं अप्रार्थी संख्या 12, 13 व 14 की और से पूर्व में प्रस्तुत जवाब प्रार्थना–पत्र दिनांक 17.08.2021 को रिकार्ड पर लिया गया। अपने जवाब प्रार्थना–पत्र में अप्रार्थीगण ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित प्राथमिक आपत्तियॉ उठाई जाकर निवेदन किया गया है कि कार्यवाही धारा 89 में पोषणीय नहीं है, क्योंकि भूमियां सहायक प्रयोजन के लिए ली गई। बिना किसी पुर्वाग्रह के धारा 89 विभिन्न संवैधानिक न्यायालय द्वारा निष्पादित नवीनतम कानून के अनुरूप नहीं है। बिना किसी पुर्वाग्रह जो कि राजस्थान भूमि अधिग्रहण के यंत्र समूह प्रावधान कानून की दृष्टि में अनस्तित्व में है जो राजस्थान भूमि अधिग्रहण अधिनियम नियम तीन दशक पूर्व ही रद्द कर दिए गए हैं, इसलिए धारा 89 की कार्यवाही पोषणीय नहीं है। उपर्युक्त सद्गुण के प्रावधान से वर्तमान में मनोनीत अधिकारी किसी भी कार्यवाही के लिए सक्षम नहीं है, बिना उचित कार्यवाही के किसी वैक्तिक खातेदारी जमीन का सहारा लेकर कार्यवाही करना इस प्रकार की कार्यवाही पूर्णतया गैर कानूनी है एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विरूद्ध है। वर्तमान में जो परियोजना दर्शायी गयी है वह वातावरण को दूषित करेगी यानि की पर्यावरण के लिए भी घातक है। जमीन मालिक/खातेदार एवं अन्य हिस्सेदार बिना किसी पर्यावरण दूषित के अवगत कराए बिना सूचना पत्र का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यह नैतिक एवं व्यक्तिगत अधिकारों का हनन है। दूषित करने वाला चुकाता है और सावधानी के सिद्धांत जो कि संविधान के अनुच्छेद 21 व 14 में यह

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

परियोजना लाभ करने वाले की जिम्मेदार है कि वह सभी हिस्सेदार सरकार को शामिल करते हुए परियोजना की सभी परिस्थितियों से अवगत कराएगा। यह परियोजना की आपत्ति से पूर्व करना चाहिए। जमीन हथियाना संविधान के अनुच्छेद 19 व 21 का उल्लघंन है, जिस तरीके से यह किया गया है यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लघंन है। अधिकृत अधिकारी विधिशास्त्र के कानूनी मौलिक सिद्धांतों के विरूद्ध जिसमें हमारों लोग इस परियोजना से प्रभावित है। सरकार द्वारा वर्तमान परियोजना के मुख्य निर्धारण में दूर–दृष्टि नहीं रही है जो कि उन्होंने इसका अनुमोदन/इस प्रकार के औद्योगिक एवं खनन के लिए कर दिया। अतः बहुत ही आश्चर्यजनक है इस प्रकार के अधिकारीगण कैसे शासन चल रहे हैं एवं कर्तव्य निभा रहे हैं हमें सुने बिना एक उद्यमी को हमारी जमीन का पट्टा जारी कर दिया गया जो कि नैसर्गिक न्याय के विरूद्ध है। इस प्रकार मनोनीत अधिकारी वैसे भी असमर्थ हैं, क्योंकि पट्टा उद्यमी के पक्ष में जारी हो चुका है इसलिए वर्तमान में सुनवाई एवं औपचारिकता ही रह जाएगी। भूमि के अधिग्रहण के लिए सुनवाई जन आपत्तियां की सुनवाई, पर्यावरण संबंधित सुनवाई एवं स्थानीय विकास के लिए सुनवाई ये सभी टुकड़ों में नहीं हो सकती। इस प्रकार की कार्यवाही रूझान तुच्छ रह जाएगी हितकारी नहीं होगी। यह जिसमें सरकारी अधिकारी, उद्यमी/पुँजीवादी शामिल सभी संबंधित पूर्णतया लापरवाही कानून की अवहेलना मौज मनमाने ढंग काटपीट एवं विवेकहीनता है। बलपूर्वक दोषसिद्धि के साथ कहा जा सकता है कि क्या कानून में सही है एवं उदार पारित दस्तावेजों के किसी प्रकार देश का संचालन/शासन प्रबंध रहा है जिसमें भारत का संविधान है या किसी उद्यमी या पुंजीवादी को एक किसान की जमीन पर स्वयं के फायदे के लिए पुंजी लगाने की ईजाजत दी जा सकती है जिसने अपनी धरती माँ के लिए खून पसीना एक किया है जिसमें उसने स्वयं के लिए एवं साथीयों के लिए परिपक्व किया है। इस प्रकार वर्तमान सरकार/पूंजीपति के प्रस्ताव समानता के अधिकारों का हनन करता है, एक अच्छे समाज में जहां की समानता के आधार पर शासन संचालन दूसरी और एक अन्य व्यक्ति से उसके खेत छीनकर दूसरों को दिया जा रहा है। एक अत्यंत ज्वलंत प्रश्न है कि मनोनीत या अधिकृत व्यक्ति ने किसी भी प्रकार की पुछताछ/जांच ही नहीं की, किस प्रकार प्रभावित किसानों का विस्थापित पुर्नवास किया जाएगा। क्या सरकार ने छोटे–छोटे किसानों के कल्याण को छोड़कर पूंजीपतियों के पक्ष में आँख मुंद ली है। क्या पूंजीपतियों के पक्ष में अंधभक्त रहकर सरकार ने पूर्णतया आँख बंद कर ली है। आगे अति आवश्यक है कि क्या सरकार किसी सुक्ष्म निति मूल्यांकन जो आज इस उद्योग की आवश्यकता है उसे अनुक्षप्ति (सेवशन) जारी करने से पूर्व में सभी तथ्य मूलरूप से मूल्यांकन करना चाहिए। छोटे किसान किसी भी प्रकार के एक पुंजीपति से संघर्ष अथवा अपने अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ सकता है। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह एक स्वस्थ बिना रिश्वत के उपरोक्त मामलों में जांच कर एवं पुंजीपतियों के आगे घटिया तरीकों से घुटने नहीं टेके। प्रार्थी कंपनी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कानूनी प्रावधानों से विपरित होने से पोषणीय नहीं है। इस संबंध में निवेदन है कि खनन के लिए ग्राम मालियाखेडी तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ में स्थित आरजी नंबर 354 रकबा 0.7600 हैक्टेयर किस्म बारानी 5

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

लगान 3.80 रूपये की कृषि भूमियों को खनन कार्य के लिए ली गयी है, अब उसी प्रकार की भूमि को उसी प्रकार के उद्देश्य के लिए उसी प्रश्नगत क्षेत्र में उपरोक्त विधिक प्रावधानों को बायपास कर अनदेखी कर सरकार के साथ दुरभि संधि कर किस प्रकार से पुनः ग्राम मांगरोल में 132 हैक्टेयर भूमि से कोई लिखित सहमति प्राप्त नहीं की है जिससे आवेदन निरस्त किए जाने योग्य है। भूमि अवाप्ति अधिनियम के अन्दर भूमि को अवाप्त किए जाने की दशा में कृषि को समुचित सुनवाई एवं सुरक्षा के प्रावधान है। इसी प्रकार के लैण्ड एक्जीवेशन (कंपनी) रूल्स 1963 में कृषि योग्य भूमि को अवाप्त करने से रोकने के लिए कुछ निश्चित प्रावधान किए हुए हैं। नियम 4 में कृषि योग्य भूमि को अवाप्त करने से पूर्व वरिष्ठ कृषि अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त किया जाना आवश्यक है एवं नियम 4 के उपनियम 6 में यह प्रावधान है कि कंपनी को किसी कृषि योग्य भूमि को अवाप्त करने से पूर्व कलेक्टर महोदय के समक्ष यह साबित करना पड़ेगा कि अन्य कोई उपयोग भूमि कंपनी के लिए उपलब्ध नहीं है। परन्तु हस्तगत प्रकरण में कंपनी द्वारा सीधे ही राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 89 (4) के तहत अप्रार्थी संख्या 1 व 2 कृषक की भूमि को अवाप्त करने की कार्यवाही की जा रही है जो कि विधिक प्रावधानों के विपरित होने से निरस्त होने योग्य है। प्रार्थी कंपनी ने पूर्व में हजारों एकड़ भूमि को खनन कार्य तथा सीमेंट निर्माण हेतु अवाप्त किया जा चुका है जिसमें ज्यादातर भूमि कृषि योग्य एवं उपजाऊ भूमि है तथा काफी क्षेत्रफल चारागाह भूमि है एवं पुनः उसी उद्देश्य के लिए प्रार्थी कंपनी पुनः हजारों एकड़ उसी क्षेत्र में कृषकों से बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए प्राप्त करना करना चाहती है। उसका मुख्य उद्देश्य और अत्यधिक लाभ कमाना है जिस प्रकार की स्ट्रेटेजी व्यापारिक उद्देश्य के लिए कंपनी द्वारा अपनाई जा रही है, उससे इस क्षेत्र के कृषक गरीब हो जाएंगे और भूखे मरने की स्थिति में आ जाएंगे, क्योंकि कृषकों की सारी भूमि यदि खनन कार्य व सीमेंट निर्माण हेतु प्राइवेट कंपनियों को जबरन कोड़ीयों के भाव दे दी जाएगी तो कृषकों के पास मरने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं बचेगा तथा कृषि योग्य उपजाऊ भूमि को इस प्रकार से औद्योगिक उद्देश्य के लिए प्राइवेट कंपनीयों को सरकार को दिया जाता है तो खाद्यान्न उत्पादन क्षमता में कमी आ जाएगी जो देशहित में नहीं होगा। देश के चहुंमुखी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले ये किसान खुद दाने दाने के मोहताज हो जाएंगे। खेती की जमीन जाने से आम आदमी की रोजी रोटी कपड़ा व मकान की मूलभुत आवश्यकता की समस्या पैदा हो जाएगी। किसानों के साथ सरकार ने तानाशाह जैसा रवैया अख्तियार किया है। खेती किसान की आजीविका है उसका सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेश है जिसमें वह उसका परिवार जीता है। दरअसल किसान की जमीन छीना उसके जीने के अधिकार को छीनने के बराबर है। जो भूमि कंपनी द्वारा ली जा रही है वह काफी उपजाऊ होकर उसमें तीन फसल होती है, वहां अधिकतर जगह अफीम की खेती भी होती है जिससे सरकार को राजस्व आय प्राप्त होती है व सिंचाई के लिए उक्त जमीन के पूर्व में गंभीरी बाँध जो जिले का सबसे बड़ा बाँध होकर इस जमीन से मात्र 3–4 किलोमीटर दूर स्थित है जिससे 20–25 गावों की जमीनों की सिंचाई होती है एवं पश्चिम में मुरलिया बाँध मात्र दो किलोमीटर स्थित है इन बाँधों को भी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

खतरा उत्पन्न हो जाएगा। यहां पर सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी है व कई हरे–भरे वृक्ष होकर ग्रीनबेल्ट है। पेड़ पौधे काटने से पर्यावरण प्रभावित होगा। ऐसी स्थिति में कंपनी प्रस्तुत किया गया आवेदन मय हर्जे–खर्चे व निंदा के साथ निरस्त किए जाने योग्य है। प्रार्थी कंपनी द्वारा पूर्व में 89 (4) के तहत ली गई हजारों बीघा जमीन अवाप्त करने के बाद अभी भी काफी लम्बे समय से खाली पड़ी हुई है, जिसका उपयोग उपभोग नहीं किया जा रहा है। अब इसी तहसील में अन्य फैक्ट्रीयों के आने की होड़ाहोड़ में प्रार्थी कंपनी सरकार के साथ मिलीभगत कर लीज डीड अपने नाम कराकर छोड़ रही है, जबकि वास्तव में उन्हें उक्त भूमि की आवश्यकता भी नहीं है जबकि प्रार्थी कंपनी के पास पहले ही कच्चे माल का पर्याप्त भण्डारण उपलब्ध है। कंपनी द्वारा 30 वर्ष की लीज समाप्त होने के बाद भूमि किसी प्रकार से काम की नहीं रहेगी जबकि किसान हजारों वर्ष तक अन्न उपजा कर देश में खाद्यान्न की समस्या को दूर करने में सहयोग प्रदान करता रहे जो जनहित में है।

इसके साथ ही प्रार्थी कंपनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि प्रार्थी कंपनी को वर्णित खनन पट्टा प्राप्त करने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि खनिज नियमावली 1960 एवं उसमें उद्धत कानूनी प्रावधानों के तहत खनन पट्टा प्राप्त करने पहले रूल (2) (एच) के तहत सहमति लेना आवश्यक है तथा यदि प्रार्थी कंपनी कृषकों की खातेदारी भूमि पट्टा प्राप्त करना चाहती थी तो उसे भूमि अवाप्ति अधिनियम 1984 के प्रावधानों के तहत पहले भूमि को विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए अवाप्त किया जाना चाहिए था जो कंपनी द्वारा नहीं किया गया। प्रश्नगत पट्टा कंपनी द्वारा दुरभि संधि के द्वारा प्राप्त किया गया है जो अवैध होने से पोषणीय नहीं है। आगे अप्रार्थी किसानों की भूमि को हथियाने के लिए कंपनी द्वारा मोडस ऑपरेंसी अपनाई गई है वह जन विरोधी है। क्योंकि कंपनी ने बिना कृषत खातेदार की स्वीकृति से सरकार के साथ संधि कर खनन पट्टा प्राप्त कर लिया एवं बिना अप्रार्थी संख्या 1 व अन्य कृषकों की जानकारी के लीज डीड आदेश क्रमांक/प–14(21)खान/ग्रुप–2/205 दिनांक 16.11.2010 से 20 वर्ष के लिए प्रथम नवीनीकरण चूना–पत्थर खदान मालियाखेडी के नाम से 315.4090 हैक्टेयर भू–क्षेत्र का खनन पट्टा स्वीकृत शुदा है। एम.एम.डी.आर. (संशोधन) अध्यादेश 2015 की धारा 8ए(5)/8ए(6)(जो लागू हो) के अनुसार उक्त खनन पट्टे की अवधि दिनांक 12.12.2034 तक स्वतः बढ गई है। प्रार्थी कंपनी को उक्त भूमि माईनिंग प्रयोजनार्थ आवश्यकता है तो किस प्रकार से प्रार्थना पत्र में उसका उल्लेख नहीं है। प्रार्थी की जमीन में कोई मिनरल नहीं है, यदि है तो प्रार्थी कंपनी ने प्रार्थना पत्र के साथ कोई भी सर्वे रिपोर्ट नहीं लगाई है। प्रथमतः प्रार्थी कम्पनी को अप्रार्थी संख्या 1 व अन्य कृषकों की भूमि को प्राप्त करने का अधिकार ही नहीं है, न ही यह भूमि जनहित हेतु अवाप्त किया जाना प्रतीत होती है, बल्कि कंपनी और अधिक लाभ अर्जित करने के लिए भूमि की मांग कर रही है जो कि कानूनन पोषणीय नहीं है। उद्योगपति और अधिक लाभ कमाने के लिए अपने व्यवसाय बढ़ाना चाहता है तो वह किसी भी प्रकार से जनहित में नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि भारत देश की कृषि उत्पादन क्षमता उसकी जनसंख्या की मांग के अनुरूप अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ऐसी स्थिति में कृषि योग्य भूमि को खनन कार्य बहाने किसानों को उनके मुख्य व्यवसाय से वचिंत करना किसी भी प्रकार से उचित नहीं कहा जा सकता। इसलिए प्रार्थी कंपनी का यह कहना कि उसे खनन उत्पादन को सुचारू रूप से चलाने के लिए राजस्थान भु–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 89 के तहत अप्रार्थी की भूमि को अवाप्त किया जाना आवश्यक है स्वीकार नहीं किया जा सकता। भूमि को अवाप्त करने की आवश्यकता कंपनी को किस प्रकार से हुई प्रार्थना पत्र में इसका उल्लेख नहीं है। कंपनी द्वारा जो मुआवजा राशि अप्रार्थी को दिलायी जाएगी उससे कृषको उससे कृषको को जीवनयापन नहीं हो सकता है और ना ही कोई अन्य भूमि खरीद सकते है। अप्रार्थीगण एवं उसका परिवाद कृषक होकर सदियों से अपने गांव में खेती पर निर्भर होकर बसे हुए है। प्रार्थी कंपनी अपने सीमेंट प्लांट व अवाप्त की गई भूमि को बेचकर प्राप्त की गई मुआवजा राशि से दुसरे राज्य में सीमेंट प्लांट लगा सकती है तो फिर वह गरीब व कृषकों की उपजाऊ जमीन को ही क्यों अवाप्त करना चाहती है। इसके साथ ही विशेष कथन में निवेदन किया माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने न्यायिक दृष्टांतों में यह कानून प्रतिपादित किया है कि खनन कार्य हेतु किसानों की भूमि को उसकी सहमति के बिना अवाप्त नहीं किया जा सकता है। खनिज रियायत निगम 1960 नियम 22 (2) (एच) के अनुसार लीज डीड प्राप्त करने से पहले कंपनी को स्टेटमेंट देना पड़ता है कि हमने किसानों से स्वीकृति प्राप्त कर ली है। इस प्रकरण में कंपनी ने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है जिससे यह साबित हो कि कंपनी ने किसानों से अवाप्त की जाने वाले भूमि की स्वीकृति प्राप्त की हो। उक्त प्रकरण कमिश्नर नियुक्त कर मौका रिपोर्ट मंगवाई जाना अतिआवश्यक है, क्योंकि कंपनी प्रतिनिधियों ने पटवारी व तहसीलदार से मिलीभगत कर गलत व झूठी रिपोर्ट काश्तकारों की अनुपस्थिति में तैयार कर भेजी जो स्वीकार नहीं है। कंपनी के पूर्व में चल रहे प्लांट से भारी मात्रा में प्रदूषण फैला हुआ है जिससे आस–पास का जनजीवन अस्त–व्यस्त है और पर्यावरण दूषित होने के कारण लोगों में व पशुधन में कई गंभीर बीमारीयां फैल रही है व लोगों को इन फैक्ट्रीयों से उड़ने वाली सीमेंट के कारण कैंसर व चर्म रोग एवं श्वास लेने में काफी परेशानी पैदा हो रही है। यहां पर पर्याप्त पानी होने के कारण काफी मात्रा में पशुधन है जिससे किसान दुग्ध उत्पादन करते हैं व किसानों को अपने खेत पर लगे पेड़ों से प्रतिवर्ष काफी मात्रा में जलाऊ व लकड़ी प्राप्त होती है जिससे उसका परिवार पलता है। जमीन अवाप्त होने के बाद इन किसानों के सामने अपने परिवार व पशुधन को पालने में भारी समस्याएं पैदा हो जाएगी। अवाप्त की जाने वाली भूमि नेशनल हाईवे के पास होकर निम्बाहेड़ा शहर से मात्र 1–2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है जो काफी कीमती है। जिसकी बाजार दर 40 लाख रूपये प्रतिबीघा की कीमत की है। जमीन अवाप्त होने पर किसान व उसका परिवार पूरा बेरोजगार हो जाएगा व जमीन दो भागों में विभक्त होने से खेती करना बड़ा मुश्किल होकर उसकी बाजार दर भी गिर जाएगी। उक्त कृषि आराजीयात वाली जमीन उपजाऊ होकर दो फसल मूंगफली व सोयाबीन की होती है। उक्त कृषि आराजीयात के चारों और तारबंदी की हुई है एवं 200 पेड लगे हुए है जिनमें दो आंवले दो महुडी दो खैरिया 15 छल

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

के 5 सीताफल के 29 नीम के 47 बबुल 38 कनेर के 2 बोरडी 1 बिल पत्र 2 आमली एवं 35 गेंदे के पौधे लगे हुए है। पटवारी द्वारा मौके की सही रिपोर्ट नहीं बनाई गई हैं पटवारी एवं कंपनी प्रतिनिधि ने मुझ अप्रार्थी/विपक्षीगण को नुकसान पहुंचाकर जमीन हडपने की नियत से तैयार की है जिससे सहमत नहीं है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के प्रकाश में प्रार्थी कंपनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 89 (4) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के प्रार्थना पत्र को सव्यय व हर्जाने सहित खारिज फरमाया जावे व अप्रार्थी की भूमि को जिसे प्रार्थी कंपनी अवाप्त करना चाहती है को अवाप्ति की प्रक्रिया से मुक्त रखने का समुचित आदेश पारित करने की कृपा करावें जिससे कि अप्रार्थी कृषक व उसका परिवार अपना जीवनयापन सुचारू रूप से कर सके। अप्रार्थीगण की और से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। दिनांक 08.12.2021 को अप्रार्थी संख्या 9, 10 एवं 11 का जवाब प्रार्थना–पत्र बंद किया गया।

प्रकरण में उप–पंजीयक निम्बाहेडा द्वारा पत्रांक/पंजीयन/2021/21 दिनांक 15.02.2021 से एवं पत्रांक/पंजीयन/2022/121 दिनांक 09.05.2021 ग्राम मालियाखेडी तहसील निम्बाहेडा की कृषि भूमि की वर्तमान प्रचलित बाजार दर प्रति हैक्टेयर प्रस्तुत की गई जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा पत्रांक/राजस्व/2021/183 दिनांक 03.02.2021 एवं पत्रांक/राजस्व /2022/705 दिनांक 11.05.2022 से प्रकरण में मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। प्रकरण में आराजीयात की प्रचलित बाजार दर उप–पंजीयक निम्बाहेडा से पुनः प्राप्त की गई। इस पर उप–पंजीयक निम्बाहेडा द्वारा पत्रांक/पंजीयन/2023/169 दिनांक 21.08.2023 से प्राप्त हुई है जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड है।

दिनांक 29.08.2023 को अधिवक्ता विपक्षीगण हाजिर नहीं रहे। इस पर अधिवक्ता प्रार्थी ने निवेदन किया गया कि प्रकरण विगत 2 वर्ष से अधिक समय से वास्ते बहस हेतु नियत है एवं अप्रार्थीगण लगातार बहस हेतु अवसर लेते रहे है अतः प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किये जाने की ईश्तदुआ की। इस पर हाजिर अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा की की गई बहस पत्रावली को एक तरफा सुना गया।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब प्रार्थना–पत्र में उठाई गई प्राथमिक आपत्तियों के संबंध में बताया कि अप्रार्थीगण द्वारा अपनी प्राथमिक आपत्तियों के संबंध में जो तथ्ये एवं उठाये उनका किसी भी प्रकार संबंध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 89(4) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के विविध प्रावधानों के तहत नहीं उठाये गये है ऐसी स्थिति उक्त प्राथमिक आपत्ति प्रार्थना पत्र का विषय वस्तु नहीं होकर मात्र किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित तथ्य प्रतीत होते हैं जिनका प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 89(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 से किसी भी प्रकार का कोई संबंध एवं सरोकार नहीं है। क्यों कि प्रार्थी कंपनी के पक्ष में राज्य सरकार द्वारा लीज जारी की जा चुकी हैं एवं प्रार्थी कंपनी अपने पक्ष में जारी लीज के आधार पर ही विधिक प्रावधानों के तहत न्यायालय आप

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

समक्ष उपस्थित है। प्रार्थी कंपनी के पक्ष में जारी लीज एवं अन्य तथ्यों का इस प्रार्थना पत्र से किसी भी प्रकार से कोई संबंध सरोकार नहीं है। अतः अप्रार्थीगण की प्राथमिक आपत्तियों को सारहीन होने से खारीज फरमाया जावें। इसी ईश्तदुअ के साथ विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस समाप्त की। हमने अधिवक्ता द्वारा की गई बहस प्राथमिक आपत्ति का चिंतन–मनन किया।

राज्य सरकार द्वारा प्रार्थी कंपनी के पक्ष में खनन हेतु नियमानुसार लीज जारी की गई हैं ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 89(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 में लीज के जारी किये जाने अथवा औचित्य के संबंध में किसी भी प्रकार से कोई टिप्पणी किया जाना उचित नहीं है। एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 89(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 में लीज के जारी किये जाने से संबंधित तथ्यों को देखा जाना उचित नहीं है, अतः अप्रार्थीगण की प्राथमिक आपत्ति सारहीन होने से खारीज की जाती है।

इसके के पश्चात् विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस मूल आवेदन में बताया कि प्रार्थी कंपनी को सीमेंट उत्पादन करने हेतु राजस्थान सरकार के खान विभाग के आदेश क्रमांक/प–14(21)खान/ ग्रुप–2/205 दिनांक 16.11.2010 से 20 वर्ष के लिए प्रथम नवीनीकरण चूना–पत्थर खदान मालियाखेडी के नाम से 315.4090 हैक्टेयर भू–क्षेत्र का खनन पट्टा स्वीकृत शुदा है। एम.एम.डी.आर. (संशोधन) अध्यादेश 2015 की धारा 8ए(5)/8ए(6)(जो लागू हो) के अनुसार उक्त खनन पट्टे की अवधि दिनांक 12.12.2034 तक स्वतः बढ गई है। खनन पट्टा क्षेत्र पांच ग्रामों की सीमाओं में मालियाखेडी–पिपलियागादिया–बांसा–भट्टकोटडी व फलवा में स्थित है। खनन क्षेत्र की सीमा में स्थित ग्राम मालियाखेडी की आराजी संख्या 354 रकबा 0.76 हैक्टेयर वांछित भूमि खनन पट्टे की लीज सीमा के अन्दर होकर चालु खनन पीट के नजदीक होकर डेन्जर जोन में है, खनन कार्य हेतु उक्त भूमि में से अप्रार्थीगण संख्या 1 से 14 के हिस्से की 0.6967 हैक्टेयर भूमि ही ली जाना आवश्यक है। भूमि प्रार्थी कम्पनी के स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र में होने से प्रार्थी कम्पनी को उक्त भूमि नियमानुसार खनन कार्य के लिए आवश्यकता है। जिसे धारा 89 में ली जाने वाली भूमि को खसरा मानचित्र में लाल रंग से दर्शायी गई है। प्रार्थी कम्पनी नियमानुसार मुआवजा राशि व सोलिशियन राशि का भुगतान करने को तैयार है। आवेदित भूमि में से अन्य सह खातेदारों ने अपने–अपने हिस्से की भूमि पर बैंक लोन लिये जाने से विपक्षी संख्या 15 व 16 को भी पक्षकार बनाया गया है। अन्त में प्रार्थना की गई कि प्रार्थी कम्पनी की और से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है जिसे स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी की उक्त वर्णित भूमि कुल किता 1 कुल क्षेत्रफल 0.7600 हैक्टेयर भूमि में से प्रार्थी कम्पनी के 1/12 हिस्से को छोडते हुए 0.6967 हैक्टेयर भूमि का नियमानुसार मुआवजा प्रदान कराते हुए बिलानाम सरफेसरेन्ट पर खनन प्रयोजनार्थ कम्पनी (जे.के. सीमेन्ट वर्क्स निम्बाहेडा) को दिलाई जाने का आदेश प्रदान करावें। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की।

हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। तहसीलदार निम्बाहेडा से प्राप्त मौका रिपोर्ट का गहनता पूर्वक अवलोकन

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

किया। उप–पंजीयक निम्बाहेडा से प्राप्त प्रचलित बाजार दरों का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा की गई बहस पत्रावली का चिंतन–मनन किया। पत्रावली को वास्ते निर्णय रिजर्व किया गया।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी कंपनी द्वारा की गई बहस पत्रावली का मनन किया। अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब में उठाये तथ्यों का गहनता पूर्वक चिंतन–मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात अभिलेख का गहनता पूर्वक अध्ययन/परिशीलन किया। हमने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 89 के प्रावधानों का अवलोकन किया।

89 Right of minerals, mines, quarries and fisheries –

1 The right to all minerals, mines and quarries and to all fisheries, navigation and irrigation in and from, a river shall vest in the State Government and the State Government shall, have all powers necessary for the enjoyment of such a right.

2 The right to all mines and quarries includes the right of access to land for the purpose of mining and quarrying and the right to occupy such other land as may be necessary for purposes subsidiary thereto, including the erection of offices, workmen's dwellings and machinery. The staking of minerals and deposit of refuse, the construction of roads, railways or tram lines, and any other purposes which the State Government may declare to be subsidiary to mining and quarrying.

3 If the State Government has assigned to any person its right over any minerals, mines or quarries, and if for the proper enjoyment of such right, it is necessary that all or any of the powers specified in sub-sections (1) and (2) should be exercised by such person, the Collector may, by an order in writing, subject to such conditions andreservations as he may prescribe; delegate such powers to the person to whom the right has been assigned:

Provided that no such delegation shall be made until notice has been duly served on all persons having rights in the land effected and their objection have been heard and considered.

4 If, in the exercise of the right herein referred over any land, the rights of any persons are infringed by the occupation or disturbance of the surface of such land, the State Government or its assignee shall pay to such persons compensation for such infringement and the amount of such compensation shall be calculated by the Collector, of, if this award is not accepted, by the civil court, as nearly as may be in accordance with the provisions of the Rajasthan Land Acquisition Act, 1953 (Rajasthan Act XXIV of 1953).

5 No assignee of the State Government shall enter on or occupy the surface of any land without the previous sanction of the Collector, unless the compensation has been determined and tendered to the person whose rights are infringed.

6 If any assignee of the State Government fails to pay compensation as provided in sub- section (4), the Collector may recover such compensation from him on behalf of the person entitled to it, as if it were an arrear of land revenue.

7 Any person who without lawful authority extracts or removes minerals from any mine or quarry, the right to which vests in and has not been assigned by

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

the State Government, shall without prejudice to any other section that may be taken against his liable, on the order in writing of the Collector to pay a penalty not exceeding a sum calculated at the rate of fifty rupees per ton, or a fraction thereof, of the minerals so extracted or removed:
Provided that if the sum so calculated is less than one thousand rupees, the penalty may be such larger sum not exceeding on thousand rupes as the Collector may impose.

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 89 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त प्रार्थना पत्र की क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पोषणीय पाया है। अधिनियम की धारा 89(2) के अनुसार सभी खानों और खदानों के अधिकार में खनन और उत्खनन के उद्देश्य के लिए भूमि तक पहुंच का अधिकार और कार्यालयों, कामगारों के आवास और मशीनरी के निर्माण सहित अन्य सहायक भूमि पर कब्जा करने का अधिकार शामिल है। खनिजों को जमा करना और कचरा जमा करना, सड़कों, रेलवे या ट्राम लाइनों का निर्माण, और कोई अन्य उद्देश्य जिसे राज्य सरकार खनन और उत्खनन के लिए सहायक घोषित कर सकती है। इसके साथ अधिनियम की धारा 89(4) अनुसार किसी भी भूमि पर निर्दिष्ट अधिकार के प्रयोग में, किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन ऐसी भूमि की सतह के कब्जे या गड़बड़ी से होता है, तो राज्य सरकार या उसका समनुदेशिती ऐसे व्यक्तियों को इस तरह के उल्लंघन के लिए मुआवजे का भुगतान करेगा और ऐसे मुआवजे की राशि की गणना कलक्टर द्वारा की जाएगी। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी कम्पनी द्वारा खनन कार्य में अप्रार्थीगण की कृषि भूमि प्रार्थी कम्पनी की माईनिंग लीज एरिया में स्थित होकर कम्पनी को उक्त भूमि की खनन प्रयोजनार्थ आवश्यकता होने से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 89 के तहत प्रार्थी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है एवं अप्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जेयाबी की कृषि भूमि को खनन प्रयोजनार्थ से भूमि का उचित मुआवजा निर्धारण किया जाना उचित प्रतीत होता है।

कृषि भूमि को खनन प्रयोजनार्थ लिये जाने के संबंध में हमने पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में अप्रार्थी की खातेदारी आराजीयात आराजी संख्या 354 रकबा 0.76 हैक्टेयर कृषि भूमि में स्थित संरचना व उनकी कीमत का विवरण प्रस्तुत किया गया है जो कि निम्नानुसार है :–

क्रमांक	संरचना विवरण	कीमत संरचना (रूपये में)
1.	वृक्ष एवं फसल(सरसों कच्ची)	76000/–
2.	पत्थर की कच्ची मेड	50000/–
	संरचनाओं का कुल योग	**126500**/–

हमने उप पंजीयक निम्बाहेड़ा द्वारा प्रस्तुत की गई इस ग्राम की सिंचित/असिंचित/बीड़ भूमि की आबादी एवं सड़क से पास तथा दूर की जिला दर निर्धारण समिति द्वारा अनुमोदित दरों का

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अवलोकन किया। उप पंजीयक द्वारा इस भूमि की उच्चतम सिंचित, सड़क व आबादी के पास की दर 14,50,095/– रूपये प्रति हैक्टेयर होना बताया है, किन्तु हम भूमि का खनन प्रयोजनार्थ हेतु उपयोग में लिये जाने से जिला दर निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित दरों की दुगुनी दर 29,00,190/– रूपये प्रति हैक्टेयर से भूमि का मुआवजा निर्धारित करना उचित मानते हैं।

ग्राम	आराजी नम्बर	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	मुआवजा हेतु निर्धारित दर प्रति हैक्टेयर (रूपये में)	देय राशि (रूपये में)
मालियाखेडी	354	0.76 मै से 11/12 हिस्सा यानि 0.6967 हैक्टयर	2900190	2020563/–
कुल किता – 1		**कुल क्षेत्रफल 076 हैक्टेयर मै से 0.6967 हैक्टेयर**	कीमत संरचना	126500/–
			योग	**2147063/–**
			100 % सोलिशियम	2147063/–
			कुल देय राशि	**4294126/–**
अक्षरे बयालीस लाख चौरानवे हजार एक सौ छब्बीस रूपये मात्र/–				

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 89(4) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 को स्वीकार किया जाता है एवं उपरोक्त तालिका अनुसार अप्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जेयाबी की कृषि भूमि का खनन प्रयोजनार्थ उपयोग में लिये जाने हेतु भूमि का मुआवजा निर्धारण किया जाता है। इसके साथ ही भूमि वर्तमान में रहन दर्ज रिकार्ड है, जिससे आराजीयात को भारमुक्त कराया जाना आवश्यक है अतः प्रार्थी कम्पनी उपरोक्त राशि के भुगतान हेतु दो पृथक्–पृथक् चैक संबंधित बैंक एवं खातेदार के नाम, तहसीलदार निम्बाहेड़ा को उपलब्ध करावें। तहसीलदार उक्त आराजी के संबंध में राजस्व अभिलेख में दर्ज खातेदार एवं वर्तमान कब्जे के संबंध में संतुष्टि के उपरांत संबंधित को राशि का भुगतान कर प्रमाणित करेंगे। उपरोक्त भूमि खनन कार्य करने हेतु उपयोग में लिये जाने से तहसीलदार द्वारा सरफेस रेंट राशि प्रार्थी कम्पनी से वसूल कर भूमि को बिलानाम खनन कार्य करने हेतु प्रार्थी कम्पनी के नाम अंकन करने के पश्चात् प्रार्थी कम्पनी द्वारा प्रचलित नियमों, निर्देशों, लीज डीड व विभागीय परिपत्रों के तहत भूमि खनन कार्य करने हेतु उपयोग में ली जा सकेगी। निर्णय की प्रति तहसीलदार निम्बाहेडा को नियमानुसार पालना बाबत् भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावें।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **29.08.2023** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(पीयुष समारिया)
जिला कलक्टर,
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official